बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः– 3/अ0प्र0–1–126/2013 912 /पटना, दिनांक :– 14.5.2020

श्री जावेद अशरफ, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाँका–1 सम्प्रति जिला अभियंता, गया के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या–3501–सह–पठित ज्ञापांक–3502 दिनांक 27.11.2019 के माध्यम से अधिरोपित एवं संसूचित दंड के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के तहत पुनर्विलोकन अभ्यावेदन का पत्रांक शून्य दिनांक 10.01.2020 दायर किया गया है।

2. श्री जावेद अशरफ, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाँका–1 के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, बाँका–1 में पदस्थापन काल में अमरपुर प्रखंड के शाहपुर चौक से अमरपुर पथ के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता से संबंधित निगरानी विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में श्री अशरफ के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या–2112 दिनांक 29.06.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 के नियम–14 एवं 17 के तहत मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 346 अनु0 दिनांक 30.01.2018 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्री अशरफ के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–3 एवं 5 को आंशिक रूप से प्रमाणित माना गया।

4. संचालन पदाधिकारी के उक्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों पर विभागीय पत्रांक 691 अनु0 दिनांक 20.04.2018 द्वारा श्री अशरफ से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गई। श्री अशरफ के पत्रांक 01 दिनांक 20.04.2018 द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया। श्री अशरफ के विरूद्व प्रश्नगत पथ कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने के फलस्वरूप कन्ट्रैक्ट डाटा की कंडिका–21(बी) एवं (सी) के अनुरूप अनिवार्य कटौती नहीं करने एवं एकरारनामा के अनुरूप प्रत्येक माईल स्टोन प्राप्त नहीं होने के बावजूद Intended date of completion के पश्चात ही 10 प्रतिशत की कटौती प्रारम्भ करने, जो एकरारनामा के शर्तो के विरूद्व भुगतान है एवं पथ की खराब स्थिति होने के बाद भी पथ की मरम्मति समय पर नहीं करने का आरोप गठित था। इस प्रसंग में श्री अशरफ द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में यह तर्क दिया गया कि छठे विपत्र से दिनांक 29.03.2012 को जो कि extended Intended date of completion 30.06.2012 के अधीन है, 10 प्रतिशत राशि भी कटौती की गई। पथ की खराब स्थिति होने के बाद भी मरम्मति कार्य नहीं कराने के संबंध में श्री अशरफ द्वारा कहा गया कि पथ पर ग्रामीण सड़क की सीमा से अधिक 10 टन के बालू लदे वाहन के परिचालन एवं पानी रिसाव से पथ खराब हो गये।

मामले में समग्र समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि 10 प्रतिशत की कटौती चालू विपत्र से की गई, जबकि इनिसियल कन्ट्रैक्ट प्राईस से 10 प्रतिशत की राशि Liquidated damage के रूप में कटौती की जानी थी। श्री अशरफ ने पथ की मरम्मति के सन्दर्भ में ओवरलोडेड ट्रक एवं अन्य भारी वाहनो के परिचालन को दोषी बताया, किन्तु श्री अशरफ ने यह स्पष्ट नहीं किया उन्होंने संवेदक से पथ की मरम्मति क्यों नही करायी। उक्त के आलोक में श्री अशरफ का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार

13/5/2020.

(.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

योग्य नहीं होने के फलस्वरूप संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर एवं विनिश्चत दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर अधिसूचना संख्या–3501 सह–पठित ज्ञापांक–3502 दिनांक 27.11.2019 द्वारा श्री जावेद अशरफ, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बॉका–1 सम्प्रति जिला अभियंता, गया के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2007 के नियम 14(vi) के तहत दो वेतन वृद्धि को संचयात्मक प्रभाव से रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी है।

5. श्री अशरफ द्वारा समर्पित प्रश्नगत्/पुर्नविलोकन अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि अनुशानिक प्राधिकार द्वारा उनके द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान पर कोई विचार नहीं किया गया, किन्तु उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि पूर्व में समर्पित द्वितीय बचाव बयान की समग्र समीक्षोपरान्त ही श्री अशरफ के विरूद्ध दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है। श्री अशरफ द्वारा पूर्व में समर्पित तथ्यों के आधार पर ही प्रश्नगत् पुर्नविलोकन अर्जी समर्पित किया गया है, जिसमें कोई ऐसा नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो विचार योग्य हो। साथ ही संगत नियमावली के तहत विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर एवं अभिलेख पर साक्ष्य समर्थित तथ्यों के आधार पर दंड अधिरोपित किया गया है। संसूचित दंड में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, श्री जावेद अशरफ, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बॉका–1 सम्प्रति जिला अभियंता, गया के द्वारा समर्पित पुर्नविलोकन अर्जी/अभ्यावेदन पत्रांक 01 दिनांक 10.01.2020 को सरकार के निर्णयनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/5/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–126/2013 913 /पटना, दिनांक :– 14.5.2020

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को एक अतिरिक्त प्रति एवं सीडी0 के साथ राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13/5/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–126/2013 913 /पटना, दिनांक :– 14.5.2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/5/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–126/2013 913 /पटना, दिनांक :– 14.5.2020

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, गया/बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/5/2020.

अपर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—126/2013 913 /पटना, दिनांक :— 14.5.2020

प्रतिलिपि :— सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक 1838 दिनांक 30.10.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.5.2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—126/2013 913 /पटना, दिनांक :— 14.5.2020

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जिला पदाधिकारी, गया/बाँका/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य अचंल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बाँका—1/अवर सचिव, स्थापना, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी—6/श्री जावेद अशरफ, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाँका—1 सम्प्रति जिला अभियंता, जिला परिषद, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.5.2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—126/2013 913 /पटना, दिनांक :— 14.5.2020

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

13.5.2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—126/2013 913 /पटना, दिनांक :— 14.5.2020

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.5.2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—126/2013 913 /पटना, दिनांक :— 14.5.2020

प्रतिलिपि :— आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

13.5.2020

अपर सचिव